न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–294/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

1. वीर सिंह 2. गुरमीत सिंह	पि. जगराज सिह पुत्र हरिसिह	जाति अराई सा. मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. वजीर सिंह 4. महताब सिंह	पि. नसीब सिह पुत्र हरिसिह	
5. कुलवीर सिंह 6. अवतार सिंह	पि. सुखदेव सिह पुत्र नसीब सिंह पुत्र हरिसिह	

बनाम

1. जग्गो देवी पत्नी मंगूराम पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
2. जसमेरो देवी पत्नी कपुर सिंह पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
3. लालसिंह पुत्र नरमी देवी पत्नी सोनूराम उर्फ सोहन सिंह पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
4. दारा सिंह पुत्र नरमी देवी पत्नी सोनूरामउर्फ सोहन सिंह पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
5. भागवन्ती पत्नी केहर सिंह पुत्री नरमी देवी नरमी देवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई साकिन मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
6. परमजीत कौर पत्नी लाल सिंह पुत्री नरमी देवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा.मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
7. सरोज देवी पत्नी डीप्टी सिंह पुत्री शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
8. बिरजो रानी पत्नी सुभाष पुत्री शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा.ज्योतीसर तह. व जिला कुरूक्षेत्र
9. रज्जो उर्फ मनप्रीतकौर पत्नी प्रताप सिंह पुत्री शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
10. गोलो उर्फ गोल्डी रानी पत्नी डीसी सिंह पुत्री शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
11. राजरानी पत्नी पत्नी तरसेम सिंह पुत्र शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
12. अंजूरानी पुत्री तरसेम सिंह पुत्र शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
13. रोहित पुत्र तरसेम सिंह नाबालीग कुदरती वलीसरपस्त राजरानी पत्नी पत्नी तरसेम सिंह पुत्र शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. व तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
14. तहसीलदार राजस्व संगरिया

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री नवरत्न स्वामी अधिवक्ता वादीगण
श्री राजकुमार स्वामी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 13

निर्णय दिनांक :–11.11.2019

अधिवक्ता वादी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी गण संयुक्त परिवार के सदस्य है वादीगण नं 1 ता 4 के दादा दादी व वादीगण 5 व 6 के परदादा हरिसिंह व परदादी पारी देवी के नामा विभिन्न चकों में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी उनके फौत हाने के पश्चात उक्त कृषि भूमि विरस्तन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हूई। वादी नं. 1 ता 4 की भुवा व वादी नं. 5 व 6 की भुवादादी जगोदेवी, नरमी देवी, सकुन्तला देवी व जसमेरा देवी विभिन्न चकों में विरास्तन खातेदार काश्तकार है उक्त कृषि भूमि वादीगण के दादा व दादी हरिसिंह व पारो देवी के निधन के पश्चात विरास्तन हक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ था भुवा नरमी देवी व सकुन्तला देवी फौत हो चुकी है जिनके जायज व कानूनी वारिस प्रतिवादी 3 ता 13 है। वादी नं. 1 ता 4 की भुवा व वादी नं. 5 व 6 की भुवादादी जगोदेवी, नरमी देवी, सकुन्तला देवी व जसमेरा देवी चक नं. 20 एम के एस खाता नं. 66/58 में 0.098 है. चक नं. 20 एम के एस खाता नं. 3/6 में 6.344है. में से 4/6 कुल 4.299 है. चक 20 एम के एस खाता नं. 52/50 में 19.032 है. में से 1/3 हि. में से 4/6

हि. हि. अर्थात 4.229 है चक नं. 19 एम के एस खाता नं. 6/7 में 9.437 है. दर 1/3 हि. मिकं से 4/6 अर्थात 2.097 है. चक 19 एम के एस खाता नं. 2/4 में 5.820 है. में दर 1/3 में से 4/6 हि. अर्थात 1. 293 है. चक 18 एम के एस खाता नं. 10/10 में 0.342 है. चक 18 एक के एस खाता नं. 7/8 में 2 हिस्सा में से 4/18 है. चक 18 एम के एस खाता नं. 70/62 में पिता हरि सिंह के नाम दर्ज 0.379 है. में से 4/6 हिस्सा व चक नं. 17 एम के एस खाता संख्या 6/6 में 4.229 है. चक 17 एम के एस खाता नं 67/5 में 0.336 है. व चक 16 एम के एस खाता नं. 17/16 में पिता हरि सिंह के नाम दर्ज 0.505 हिस्सा में से 4/6 हि. की विरास्तन खातेदार काश्तकार है। उक्त समस्त कृषि भूमि हम वादीगण के दादा हरिसिंह व दादी पारो देवी से विरास्तन हक प्राप्त हुआ था किन्तु हम वादीगण की भुवाओ ने उक्त विरास्तन हक कभी भी स्वीकार नहीं किया था और हम वादीगण के हक में परित्याग कर दिया उक्त समस्त विरास्तन हक की कृषि भूमि पर हम वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है भुवा नरमीदेवी व सकुन्तलादेवी फौत हो चुकी हैजिनके जायज एवं कानूनी वारिस प्रतिवादी नं. 3 ता 13 ही है जो भी उक्त विरास्तन कृषि भूमि में हक लेना नहीं चाहते उन्होने हम वादीगण के पक्ष में अपना विरास्तन हक परित्याग कर दिया है उन्होने स्पष्ट कर दिया है कि वे उक्त विरास्तन कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं चाहते। नकल जमाबन्दी हमराह दावा प्रस्तुत है। वादीगण की भुवाओ व उनके जायज एव कानूनी वारिसान द्वारा उन्हे हरिसिंह व पारोदेवी से प्राप्त विरास्तन हक व हिस्सा का वादीगण के पक्ष में परित्याग करने पर वाद पत्र की धारा 4 में वर्णित कृषि भूमि के वादी नं. 1 व 2 का हिस्सा 1/2 व वादी नं 3 व 4 का हिस्सा 1/2 हिस्सा में से 2/3 व वादीगण 5 व 6 का हीस्सा 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा के विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एव दावेदार है। वादीगण नें प्रतिवादी से कई दफा कहा कि वादपत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि जो जगोदेवी, नरमी देवी, सकुन्तला देवी, जसमेरा देवी के विरास्तन हक में हम वादीगण को विरास्तन खातेदार काश्तकार मान लेवे एवं राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कलमजन करवा कर हम वादीगण के हक व हिस्सा मुताबिक नाम दर्ज करवा देवे किन्तु प्रतिवादी पहले तो टालमटोल करते रहे एवं अन्त में पिछले सप्ताह एसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यहि विनाय दावा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के मध्य राजीनामा होने से जरिये अधिवक्ता राजीनामा मय इकबालदावा पेश किया। राजीनामा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश की गई। जवाब स्टेट पेश शामिल मिसल किया गया। वकील वादी साक्ष्य वादी में वादी वीरसिह का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत मानकसर से जारी वारिस प्रमाण पत्र हरिसिह पुत्र नरोता,पारोदेवी पत्नी हरिसिह, जगराज सिह पुत्र हरिसिह, नसीबसिह पुत्र हरिसिह, सुखदेव सिह पुत्र नसीब सिह, एवं नरमीदेवी पुत्री हरीसिह, सकुन्तला देवी पुत्री हरीसिह का तहसीलदार मूनक द्वारा कुर्सीनामा तस्दीक की प्रतियॉ पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर निम्नानुसार प्रदर्श करवाये :–

1. चक नं. 20 एमकेएस जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 66/58 खाता लालसिह वगैरा प्रदर्श–1
2. चक नं. 20 एमकेएस जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 3/6 खाता औमप्रकाश वगैरा प्रदर्श–2
3. चक नं. 20 एमकेएस जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 52/50 खाता मंगतसिह वगैरा प्रदर्श–3
4. चक नं. 19 एमकेएस जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 6/7 खाता औमप्रकाश वगैरा प्रदर्श–4
5. चक नं. 19 एमकेएस जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 2/4 खाता अक्कोकौर वगैरा प्रदर्श–5
6. चक नं. 18 एमकेएस जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 10/10 खाता औमप्रकाश वगैरा प्रदर्श–6
7. चक नं. 18 एमकेएस जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 7/8 खाता औमप्रकाश वगैरा प्रदर्श–7
8. चक नं. 18 एमकेएस जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 70/62 खाता भागवन्ती वगैरा प्रदर्श–8
9. चक नं. 17 एमकेएस जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 6/6 खाता औमप्रकाश वगैरा प्रदर्श–9

10 चक नं. 17 एमकेएस जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 67/5 खाता मनदीपसिह वगैरा प्रदर्श–10

11 चक नं. 16 एमकेएस जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 17/16 खाता औमप्रकाश वगैरा प्रदर्श–11

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादगत भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने पैतृक सम्पति साक्ष्य में उक्त चको की जमाबन्दीया प्रदर्श 1 ता 11 की चित्रप्रति पेश

की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत वारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने आपस में आराजी क़ी घोषणा बाबत राजीनामा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा मय सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :—

वादी नं. 1 ता 4 की भुवा व वादी नं. 5 व 6 की भुवादादी जगोदेवी, नरमी देवी, सकुन्तला देवी व जसमेरा देवी चक नं. 20 एम के एस खाता नं. 66/58 में 0.098 है. चक नं. 20 एम के एस खाता नं. 3/6 में 6.344है. में से 4/6 कुल 4.299 है. चक 20 एम के एस खाता नं. 52/50 में 19.032 है. में से 1/3 हि. में से 4/6 हि. हि. अर्थात 4.229 है चक नं. 19 एम के एस खाता नं. 6/7 में 9.437 है. दर 1/3 हि. मिकं से 4/6 अर्थात 2.097 है. चक 19 एम के एस खाता नं. 2/4 में 5.820 है. में दर 1/3 में से 4/6 हि. अर्थात 1.293 है. चक 18 एम के एस खाता नं. 10/10 में 0.342 है. चक 18 एक के एस खाता नं. 7/8 में 2 हिस्सा में से 4/18 है. चक 18 एम के एस खाता नं. 70/62 में पिता हरि सिंह के नाम दर्ज 0.379 है. में से 4/6 हिस्सा व चक नं. 17 एम के एस खाता संख्या 6/6 में 4.229 है. चक 17 एम के एस खाता नं 67/5 में 0.336 है. व चक 16 एम के एस खाता नं. 17/16 में पिता हरि सिंह के नाम दर्ज 0.505 हिस्सा में से 4/6 हि. की विरास्तन खातेदार काश्तकार है जिस मे से वादी नं. 1 व 2 का हिस्सा 1/2 व वादी नं 3 व 4 का हिस्सा 1/2 हिस्सा में से 2/3 व वादीगण 5 व 6 का हीस्सा 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी हद तक हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 294 / 2019

1	वीर सिंह	पि. जगराज सिह पुत्र हरिसिह	
2	गुरमीत सिंह		
3	वजीर सिंह	पि. नसीब सिह पुत्र हरिसिह	जाति अराई सा. मानकसर
4	महताब सिंह		तहसील संगरिया
5	कुलवीर सिंह	पि. सुखदेव सिह पुत्र नसीब सिंह	जिला हनुमानगढ़
6	अवतार सिंह	पुत्र हरिसिह	

बनाम

1 जग्गो देवी पत्नी मंगूराम पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
2 जसमेरो देवी पत्नी कपुर सिंह पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
3 लालसिंह पुत्र नरमी देवी पत्नी सोनूराम उर्फ सोहन सिंह पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
4 दारा सिंह पुत्र नरमी देवी पत्नी सोनूरामउर्फ सोहन सिंह पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
5 भागवन्ती पत्नी केहर सिंह पुत्री नरमी देवी नरमी देवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई साकिन मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
6 परमजीत कौर पत्नी लाल सिंह पुत्री नरमी देवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा.मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
7 सरोज देवी पत्नी डीप्टी सिंह पुत्री शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
8 बिरजो रानी पत्नी सुभाष पुत्री शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा.ज्योतीसर तह. व जिला कुरूक्षेत्र
9 रज्जो उर्फ मनप्रीतकौर पत्नी प्रताप सिंह पुत्री शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
10 गोलो उर्फ गोल्डी रानी पत्नी डीसी सिंह पुत्री शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
11 राजरानी पत्नी पत्नी तरसेम सिंह पुत्र शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
12 अंजूरानी पुत्री तरसेम सिंह पुत्र शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अरांई सा. मुणक तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
13 रोहित पुत्र तरसेम सिंह नाबालीग कुदरती वलीसरपस्त राजरानी पत्नी पत्नी तरसेम सिंह पुत्र शकुन्तलादेवी पुत्री हरिसिंह जाति अराई सा. व तह. मुणक जिला संगरूर (पंजाब)
14 तहसीलदार राजस्व संगरिया

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री राजकुमार स्वामी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती हैः–

वादी नं. 1 ता 4 की भुवा व वादी नं. 5 व 6 की भुवादादी जगोदेवी, नरमी देवी, सकुन्तला देवी व जसमेरा देवी चक नं. 20 एम के एस खाता नं. 66/58 में 0.098 है. चक नं. 20 एम के एस खाता नं. 3/6 में 6.344है. में से 4/6 कुल 4.299 है. चक 20 एम के एस खाता नं. 52/50 में 19.032 है. में से 1/3 हि. में से 4/6 हि. हि. अर्थात 4.229 है चक नं. 19 एम के एस खाता नं. 6/7 में 9.437 है. दर 1/3 हि. मिकं से 4/6 अर्थात 2.097 है. चक 19 एम के एस खाता नं. 2/4 में 5.820 है. में दर 1/3 में से 4/6 हि. अर्थात 1.293 है. चक 18 एम के एस खाता नं. 10/10 में 0.342 है. चक 18 एक के एस खाता नं. 7/8 में 2 हिस्सा में से 4/18 है. चक 18 एम के एस खाता नं. 70/62 में पिता हरि सिंह के नाम दर्ज 0.379 है. में से 4/6 हिस्सा व चक नं. 17 एम के एस खाता संख्या 6/6 में 4.229 है. चक 17 एम के एस खाता नं 67/5 में 0.336 है. व चक 16 एम के एस खाता नं. 17/16 में पिता हरि सिंह के नाम दर्ज 0.505 हिस्सा में से 4/6 हि. की विरास्तन खातेदार काश्तकार है जिस मे से वादी नं. 1 व 2 का हिस्सा 1/2 व वादी नं 3 व 4 का हिस्सा 1/2 हिस्सा में से 2/3 व वादीगण 5 व 6 का हीस्सा 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी हद तक हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट – उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.............नल.............मुब्लिक.............निल..............बाबत्.............निल.............खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.11.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh
Ratnu
Date: 2019.11.28 16:20:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: